

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राज0जयपुर
क्रमांक:—ई—18 / एम / 128 / से.नि. / जोन—जोधपुर / 2024 /

दिनांक :—

संशोधित आदेश

निदेशालय

के

आदेश

क्रमांक

ई—18 / एम / से.नि. / जोन—जोधपुर / 2024 / 25 दिनांक 09.02.2024 के द्वारा श्री भीकसिंह राजपुरोहित, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को अधिवार्षिक आयु पूरी करने पर दिनांक 31.05.2024 से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया गया था। वर्तमान में पदोन्नति होने के फलस्वरूप कार्मिक श्री भीकसिंह राजपुरोहित का पदनाम सहायक प्रशासनिक के स्थान पर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पढा जावे।

आदेश की शेष शर्तें यथावत है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0जयपुर

क्रमांक:—ई—18 / एम / 128 / से.नि. / जोन—जोधपुर / 2024 / 48

दिनांक—11/03/24

:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रभारी, डीपीसी, अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
3. अधीक्षक, राजकीय बाँगड़ चिकित्सालय, सूरजपोल चौराहे के पास, पाली के पत्र क्रमांक 108 दिनांक 15.02.2024 के क्रम में।
4. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. आदेश / निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि आडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0जयपुर

RajKaj Ref
5954256

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :07-03-2024 05:02:54